न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 04/2018
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00008

अपीलाण्ट्स :–
बृजकिशोर गौड पुत्र शंकरसिंह रावणा राजपूत, निवासी जाटों का बास, रोहट तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. मृत मदनसिंह पुत्र शंकरसिंह रावणा राजपूत निवासी रोहट के का. मु.
   1.1 कैलाश सिंह पुत्र स्व. मदनसिंह रावणा राजपूत मकान न. 31, तिरूपति नगर, ब्ल्यूमून होटल के पीछे, उदयपुर रोड, बांसवाडा
   1.2 लीलादेवी पुत्री स्व. मदनसिंह पत्नी धनपतसिंह मोयल रावणा राजपूत निवासी धनदीप विला, प्लॉट नम्बर सी 12–13, महावीर नगर, कमला नगर हॉस्पीटल के पीछे, जोधपुर
2. मृत भंवरसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह रावणा राजपूत के का. मु.
   2.1 श्रीमती गिरिजा गौड पत्नी स्व. भंवरसिंह
   2.2 हीना पुत्री स्व. भंवरसिंह
   2.3 दीपिका पुत्री स्व. भंवरसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासी होरीजन स्कूल के पास, बी–61 अशोक विहार, शिकारगढ, जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री खंगार राम पटेल

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.03.2024

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1380 दिनांक 04.02.1983 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो व वक्त बहस कथन किया कि मौजा रोहट, पटवार हल्का रोहट, तहसील रोहट की सरहद में खसरा नम्बर 600 रकबा 15 बीघा, किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त

खसरा नम्बर की कृषि भूमि के खातेदार शंकरसिंह पुत्र श्री रामा जी, कौम–दरोगा (रावणा राजपूत), निवासी–रोहट, तहसील, जिला–पाली थे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 मदनसिंह स्वर्गीय शंकरसिंह जी के जाईन्दा पुत्र है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 भंवरसिंह, स्वर्गीय शंकरसिंह जी के पौत्र थे। अपीलाधीन नामान्तरकरण भरते समय अपीलार्थी को न तो कोई नोटिस दिया गया न जवाब साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया न ही श्री शंकरसिंह के विधिक उत्तराधिकारी के सभी वारिसान् को सुनवाई का उचित अवसर दिया, बावजूद जैर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया जिसमें अपीलाण्ट का सही नाम "बृजकिशोर गौड़" के स्थान पर अपीलाण्ट का घर के लाड का नाम "किशोर सिंह" गलत दर्ज कर दिया जिससे जैर नामान्तरकरण इस हद तक काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार कर जैर नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश फरमावे।

रेस्पो. संख्या 01 व 02 के कायम मुकाम वक्त बहस अनुपस्थित रहे परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध रेस्पो. संख्या 1/1, 1/2 व 2/1 के जवाब में उन्होंने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कथन किया कि जैर नामान्तरकरण में किशोर सिंह के स्थान पर बृज किशोर गौड़ दर्ज करे तो हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये अपील मीमो व अपने साक्ष्य से यह कथन कि उस का वास्तविक नाम बृजकिशोर गौड़ है जबकि घर में उसे लाड से किशोर सिंह कहा जाता था। इसलिए जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये उक्त नाम का संशोधन किया जाये। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य व रेस्पो. के जवाब से प्रथम–दृष्ट्या उक्त तथ्य उचित प्रतीत होता है परन्तु फिर भी सम्पूर्ण जांच के बाद नाम के संशोधन का विषय है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में स्थानीय निकाय एवं विधिवत उचित जांच कर यह सुनिश्चित करे कि बृजकिशोर गौड़ एवं किशोर सिंह एक ही व्यक्ति है एवं तद्नुसार उचित जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.04.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली